



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3696]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 14, 2018/भाद्र 23, 1940

No. 3696]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 14, 2018/BHADRA 23, 1940

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2018

का.आ. 4860(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु, राजस्थान सरकार द्वारा गठित बोर्ड, राजस्थान स्टेट डेन्टल काउंसिल को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थातः—

- (क) आवेदन पत्रों का विक्रय;
- (ख) दंत चिकित्सकों, दंत स्वच्छता तथा दंत प्रक्रिया की नवीकरण फीस;
- (ग) गुड स्टैंडिंग संबंधी शुल्क;
- (घ) दंत चिकित्सक अस्थायी पंजीकरण शुल्क;
- (ङ) अतिरिक्त योग्यता शुल्क;
- (च) विलंब शुल्क;
- (छ) अनापित्त प्रमाणपत्र शुल्क;
- (ज) प्रमाणपत्र शुल्कों का पुनः जारी किया जाना (डूप्लीकेट प्रमाणपत्र शुल्क);

- (झ) डेन्टल एजुकेशन प्रोग्राम फीस का बने रहना; और
 - (ञ) उपरोक्त से अर्जित ब्याज से आया।
2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'राजस्थान स्टेट डेन्टल काउंसिल,'-
- (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
 - (ख) विनिर्दिष्ट आय के संबंध में क्रियाकलाप और विशेष आय की प्रकृति, वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और
 - (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा – 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।
3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के लिए लागू समझी जाएगी और निर्धारण वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 46 /2018/ फा. सं. 300196/13/2017-आईटीए-1]

विनय शील गौतम, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन:- यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।